न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 182/2023

अनवान : –

1. हनुमान प्रसाद पुत्र रतनलाल यादव जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मंयक पुत्र भूपसिंह पौत्र रतनलाल आयु 8 वर्ष नाबालिग जरिए वली कुदरती माता रूबल यादव पत्नी भूपसिंह निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. युवराज पुत्र भूपसिंह पौत्र रतनलाल आयु 7 वर्ष नाबालिग जरिए वली कुदरती माता रूबल यादव पत्नी भूपसिंह निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रूबल यादव पत्नी भूपसिंह जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र हरीराम जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णा पुत्री रतनलाल जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रिना यादव पुत्री रतनलाल जाति यादव निवासी भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री किशनलाल यादव वादी
श्री सतवीर पूनियां प्रतिवादी

दिनांकः

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 8 बारानी के खाता सं0 196/29 के मु0न0 23 के किला न0 13/1, 14/1, 15/1, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/5 मु0न0 149 के किला न0 16/4, 16/5, 17/4, 17/5, 18/2, 19/2 की कुल 1.3280है0 जिसमें 1.2676है0 बारानी व 0.0604है0 गै0मु0 रास्ता प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जबाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.12 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी हनुमानप्रसाद के द्वारा शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें वर्तमान जमाबंदी चक 8 बारानी खाता सं0 196/29 प्रदर्श 1 पैतृक जमाबंदी चक 8 बारानी प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र भूपसिंह प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र रतनलाल प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिन्हे सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 8 बारानी के खाता सं0 196/29 के मु0न0 23 के किला न0 13/1, 14/1, 15/1, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/5 मु0न0 149 के किला न0 16/4, 16/5, 17/4, 17/5, 18/2, 19/2 की कुल 1.3280है0 जिसमें 1.2676है0 बारानी व 0.0604है0 गै0मु0 रास्ता प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त वाद भूमि जमाबंदी प्रदर्श 2 से पैतृक कृषि भूमि साबित हैं। सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल के वादी सं0 1 हनुमान प्रसाद, वादी सं0 2 ता 4 (प्रदर्श 3 के अनुसार भूपसिंह–फौत के जायज वारिसान के रूप में) प्रतिवादी सं0 2 कृष्णा व प्रतिवादी सं0 3 रीना के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया हैं। प्रतिवादीया सं0 2–3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचानुसार तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा 8 बारानी के खाता सं0 196/29 के मु0न0 23 के किला न0 13/1, 14/1, 15/1, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/5 मु0न0 149 के किला न0 16/4, 16/5, 17/4, 17/5, 18/2, 19/2 की कुल 1.3280है0 जिसमें 1.2676है0 बारानी व 0.0604है0 गै0मु0 रास्ता प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल की बजाए वादी सं0 1 हनुमानप्रसाद को 1/3 हिस्सा वादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल को 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज भूमि यथा गै0मु0रास्ता खाला को यथावत रखा जावें। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-06-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.12 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 182/2023

अनवान : –

5. हनुमान प्रसाद पुत्र रतनलाल यादव जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. मंयक पुत्र भूपसिंह पौत्र रतनलाल आयु 8 वर्ष नाबालिग जरिए वली कुदरती माता रूबल यादव पत्नी भूपसिंह निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. युवराज पुत्र भूपसिंह पौत्र रतनलाल आयु 7 वर्ष नाबालिग जरिए वली कुदरती माता रूबल यादव पत्नी भूपसिंह निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. रूबल यादव पत्नी भूपसिंह जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

5. रतनलाल पुत्र हरीराम जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कृष्णा पुत्री रतनलाल जाति यादव निवासी भादरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ।
7. रिना यादव पुत्री रतनलाल जाति यादव निवासी भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ प्रकाश चंदेलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 बारानी के खाता सं0 196/29 के मु0न0 23 के किला न0 13/1, 14/1, 15/1, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/5 मु0न0 149 के किला न0 16/4, 16/5, 17/4, 17/5, 18/2, 19/2 की कुल 1.3280है0 जिसमें 1.2676है0 बारानी व 0.0604है0 गै0मु0 रास्ता प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल की बजाए वादी सं0 1 हनुमानप्रसाद को 1/3 हिस्सा वादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 रतनलाल को 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज भूमि यथा गै0मु0 रास्ता खाला आदि को यथावत् रखा जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.12 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

10-06-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा, जिला-हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा/जिला-हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner